रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 334] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 1975/अग्रहायण 28, 1897
No. 334] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 1975/AGRAHAYANA 28, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 19th December 1975

G.S.R. 587(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India (Department of Revenue and Insurance) No. 67/73, dated the 1st March, 1973, namely:—

In the said notification, the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

Provided that in the case of products mentioned against S. Nos. 1(b), 2(c), 3(b) and 4(b) of the aforesaid Table, manufactured with the aid of electric furnace from any of the following materials, namely:—

(i) old iron or steel melting scrap;

(ii) a combination of the material referred to at (i) above with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid; and

(iii) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriate duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (i) and (ii) above,

the duty specified against the corresponding entries in column (3) of the said Table shall be reduced by seventy-five rupees per metric tonne".

[No. 238/75-CE.]

R. K. CHAKRABARTI, Under Secy

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1975

सा० का० नि० 587 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 67/73 तारीख 1 मार्च, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित परन्तुक अन्त में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि उपर्युक्त सारणी की क्रम सं० 1(ख), 2(ग), 3(ख) और 4(ख) के सामने वर्णित उत्पादनों की बाबत, जो विद्युत भट्टी की सहायता से निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी एक से विनिर्मित हैं, अर्थात् :—

(i) पुराना लोहा या इस्पात पिघलन रद्दी ;

(ii) उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट सामग्री के नये अप्रयुक्त इस्पात पिघलन रद्दी के सम्मिश्रण से, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है ;

(iii) किसी कच्चे रूप में लोहा जो प्रथम अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत आता है और जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क दे दिया गया है, के उपर्युक्त (i) और (ii) में निर्दिष्ट सामग्री के सम्मिश्रण से,

उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में के सामने विनिर्दिष्ट शुल्क पचहत्तर रुपए प्रति मैट्रिक टन कम कर दिया जाएगा।"

[सं० 238/75-सी०ई०]

आर० के० चक्रवर्ती, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975